उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-215/2017/3070/92-2-2017-113जांच/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 18 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती के कार्यकाल में अधीक्षण अभियंता पद के दायित्व के प्रति सजग न रहने, विभागीय छवि धूमिल करने के साथ-साथ निर्माण कार्यो को प्रारम्भ करने की चल रही प्रक्रिया को अनावश्यक रूप में स्थगित करने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-56/2016/1664/92-2-2016-113 जांच/2016 दिनांक 27-09-2016 द्वारा श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती सम्प्रति परिमण्डल-गोरखपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-67/2017/133/92-2-17-113जांच/2016 दिनांक 09-05-2017 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये श्री जितेन्द्र राम त्रिपाठी, विशेष सचिव, सिचांई, उ0प्र0 शासन को जांच अधिकारी नामित किया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

खेलकूद निदेशालय, उ0प्र0 के पत्रांक-4977/2015-16 दिनांक 30-03-2016 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के स्पोर्ट स्टेडियम में बाउन्ड्रीवाल का उच्चीकरण एवं मिटटी भराई के कार्य हेतु पृथक-पृथक (1) बाउण्ड्रीवाल का उच्चीकरण हेतु रू0 86.28 लाख (2) मिटटी भराई के कार्य हेतु रू0 65.86 लाख अर्थात दोनो कार्यो हेतु रू0 152.14 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त दोनो कार्यो हेतु रू0 50.00 लाख तथा रू0 50.00 लाख अर्थात कुल मु0 रू0 100.00 लाख की धनराशि बैक ड्राफट संख्या-298356 दिनांक 29-03-2016 द्वारा (02 प्रतिशत आयकर के रूप में कटौती करते हुये) रू0 98.00 लाख मात्र की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी। दोनो कार्यो हेतु आपके पूर्वाधिकारी द्वारा निविदा सूचना संख्या-201/ग्रा0अ0वि0/निविदा/2016-17 दिनांक 31-05-2016 द्वारा निविदयें आमंत्रित की गयी थी, जिसके अनुसार उक्त दोनो कार्यो की निविदायें दिनांक 01-07-2016 तक प्राप्त की जानी थी, तथा प्राप्त निविदाओं के खोले जाने हेतु दिनांक 02-07-2016 की तिथि निर्धारित की गयी थी। इसी मध्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आप द्वारा दि0 13-06-2016 को अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल -बस्ती का पदभार ग्रहण किया गया तथा पत्रांक-279/ग्रा0अ0वि0/ स्पोर्टस स्टे0/2016-17 दिनांक 25-06-2016 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के स्पोर्टस स्टेडियम के बाउण्ड्रीवाल का उच्चीकण एवं मिटटी भराई के कार्य हेतु आमंत्रित निविदायें बिना कोई कारण दर्शाये स्थगित कर दी गयी तथा उक्त निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराये जाने का कोई सार्थक प्रयास नही किया गया। आपके उक्त कृत्य से निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो सका। इस प्रकार आपके स्तर से कार्य के प्रति रूचि नही लेते हुये अपनी स्वेच्छाचारिकता से कार्य प्रारम्भ कराये जाने में जान बूझकर अवरोध उत्पन्न किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निदेशक, खेलकूद विभाग के पत्र दिनांक 27-07-2016 द्वारा उक्त धनराशि वापस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मांग ली गयी, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई। इस प्रकार स्वेच्छाचारिता अपनाते हुये निविदा प्रक्रिया स्थगित कर निर्माण कार्य सम्पादन को बाधित कर प्रदेश के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हुये विभाग की छवि धूमिल करने के लिये आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या-2

आरोप संख्या-1 में वर्णित निर्माण कार्य के सम्पादन कराये जाने की दिशा में आप अपने अधीक्षण अभियंता के पद के दायित्वों के प्रति सजग नही रहे तथा अपने पद के दायित्वों का निर्वहन न कर निर्माण कार्यो को प्रारम्भ करने की चल रही प्रक्रिया अनावश्यक रूप से स्थगित कर विकास कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया, जो कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 सामान्य (1) व (2) के विपरीत है, जिसके लिये आपको उत्तरदायी पाया जाता है।

2- अपचारी अधिकारी, श्री गर्ग का बचाव उत्तर दि0 25-02-2017 प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दि0 15-06-2017 तथा प्रति परीक्षण का अवसर दि0 30-06-2017 द्वारा युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करते हुये जांच अधिकारी/विशेष सचिव, सिचांई, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-1923/वि0स0(जे0)/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री गर्ग पर अधिरोपित 02 कुल आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया, किन्तु अपचारी अधिकारी से आरोप पत्र में उल्लिखित 3(क) के स्थान पर 3-सामान्य (1) व (2) के संबंध में शुद्वि पत्र निर्गत करते हुये श्री गर्ग का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 17-10-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी, श्री अनिल कुमार गर्ग पर अधिरोपित आरोप पत्र, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त, अपचारी अधिाकारी पर कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने पर उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-09-2016 द्वारा संस्थित अनुशासिनक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-215/2017/3070/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती सम्प्रति परिमण्डल-विन्ध्याचल मिर्जापुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in